

19/06/2018 नाकोडा

प्रपत्र:-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, नाकोडा )


प्रकरण सं:- 124/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1681

दिनांक:- 19/06/2018

### आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी सिणधरी व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम नाकोडा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 253 के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि रामाराम पुत्र सवाराम के स्थान पर रामलाल पुत्र सवाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 19/06/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/1682-84

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामलाल पुत्र सवाराम निवासी नाकोडा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी